तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
24/04/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ-पत्रों PW-1 ता PW-2 को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तन ग्राम मौरंगपुरा प० ह० नीमेड़ा के ख० नं० 286/1, 286/2, 302/1, 301, 302/2, 303, 304, 305/1, 305/2 में विरासत का नामान्तरकरण के समय प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम नेकीराम पुत्र रामेश्वरलाल है, जो कि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "नरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वरलाल" के स्थान पर "नेकीराम पुत्र रामेश्वरलाल" दुरुस्त फरमाया जावे। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, शपथ-पत्रों, पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "नेकीराम पुत्र रामेश्वरलाल" है तथा हल्का पटवारी एवं तहसीलदार वकेला ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त तथ्य की पुष्टि की है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :- **निर्णय** तन ग्राम मौरंगपुरा प० ह० नीमेड़ा के ख०नं० 286/1, 286/2, 302/1, 301, 302/2, 303, 304, 305/1, 305/2 में प्रार्थी का नाम "नरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वरलाल"	

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	के स्थान पर "नेकीराम पुत्र रामेश्वरलाल" प्रकान्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

24/04/19
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner